उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव
स्वत्व वाद सं0 – 572/2017
सी0आई0एस0 – 295/2017

वृज बिहारी पाण्डेय वगै0 .....वादीगण।
बनाम्
रमावती देवी वगै0 .....प्रतिवादीगण।
आदेश

19.03.2026 उभय पक्ष की पैरवी है। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 24.06.2024 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि मुकदमा दाखिल करते समय टाईपिस्ट की गलती से भूलवश अर्जी में कुछ तथ्य का दर्ज होना छूट गया है जिसका सुधार किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। अनुरोध करते है कि अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय। प्रतिवादीगण द्वारा आज तक उक्त आवेदन का कोई प्रतिउतर नही दिया गया। अतः प्रतिवादी को उक्त आवेदन पर प्रतिउतर दाखिल करने हेतु बंचित किया जाता है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। वादी का संशोधन आवेदन महज औपचारिक प्रकृति का है। जिससे वाद की स्वरूप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है। प्रतिवादी को उक्त आवेदन पर प्रतिउतर दाखिल करने हेतु बंचित किया गया है। किन्तु वादी द्वारा संशोधन आवेदन बिलम्ब से दाखिल किया गया है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 24.06.2024 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0पी0सी0 को न्यायहित में मो0 500/– पॉच सौ रूपये के खर्च के साथ स्वीकृत किया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निदेर्शित किया जाता है कि कार्यालय लिपिक के समक्ष आवदेन के अनुसार अर्जी में संशोधन करें।

दिनांक– 30.04.2026 वास्ते सुनवाई/प्रतिउतर हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)